भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 877
जिसका उत्तर दिनांक 26.06.2019 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा

877. श्री सुरेश कोडिकुन्निल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के बारे में चिंता प्रकट करने वाली घटनाओं संबंधी रिपोर्टों की ओर ध्यान दिया है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को तमिलनाडु में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के वर्जित क्षेत्र में दो फ्रांसीसी जाँचकर्ता पत्रकारों के अनधिकार प्रवेश की ओर संकेत करने वाली रिपार्टों की जानकारी है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और उक्त क्षमता वाले महत्वपूर्ण अधिष्ठापनों सहित उक्त अधिष्ठापनों की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) एचआरएम प्रमुख से मिलने की अनुमति मांगने के लिए दिनांक 26.11.2018 को दो फ्रांसिसी नागरिक मि. आर्थर रोलैंड रेने और मि. जुलीस डेमियन मनागुडी, जिला कन्याकुमारी, तमिल नाडु के पैरिश प्रीस्ट एफआर किल्डोस के साथ इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल), मनवलाकुरिची यूनिट, जिला कन्याकुमारी, तमिल नाडु पहुंचे। आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड के परिसर को "निषिद्ध क्षेत्र" के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा पऊवि परिसर में विदेशी नागरिकों को प्रवेश की अनुमति से संबंधित पऊवि दिशा-निर्देशों और मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) से पूर्व सुरक्षा अनुमति प्राप्त किए बिना विदेशी नागरिकों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। अतः विदेशी नागरिकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इस घटना को महत्वपूर्ण असामान्य घटना समझकर स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को घटना की सूचना दी गयी। तत्पश्चात्, आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, मनवलाकुरिची यूनिट के सुरक्षा प्रभारी द्वारा दिनांक 28.11.2018 को मनवलाकुरिची पुलिस स्टेशन में एफआईआर सं. 165 दर्ज कराई गई।

(i) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, मनवलाकुरिची यूनिट में आंतरिक सुरक्षा ऑडिट किया गया और निम्नलिखित सुरक्षा उपाय अपनाए गए :

(क) यूनिट में कार्यरत ठेकेदारों/संविदात्मक मजदूरों सहित सभी कार्मिकों के लिए सुरक्षा जागरूकता के भाग के रूप में नियमित सुरक्षा संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(ख) यूनिट के आस-पास के गाँवों के मछुआरों के समूहों के लिए भी सुरक्षा संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिन्हें हमारी यूनिट में खनन पृथक्करण हेतु कच्ची सामग्री के लिए उपयोगार्थ *बीच-वाशिंग्स* एकत्र करने के लिए नियुक्त किया गया है।

(ग) संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कवरेज मजबूत करने के लिए कार्रवाई की गई है।

(ii) <u>घटना के बाद दौरा</u> : महानिरीक्षक (सुरक्षा), पऊवि ने दिनांक 14.2.2019 को आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, मनवलाकुरिची यूनिट की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

(iii) देश के सभी प्रचालनरत नाभिकीय विद्युत संयंत्र केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सुरक्षा कवर में हैं और सुरक्षा उल्लंघन को रोकने के लिए इलेक्ट्रानिक निगरानी प्रणाली सहित एकीकृत सुरक्षा प्रणालियाँ हैं।

(iv) अप्राधिकृत प्रवेश को रोकना सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म लगाए गए हैं। इन प्रणालियों का आवधिक ऑडिट, नियामक सत्यापन एवं मान्यकरण किया जाता है। सुरक्षा प्रणालियों/व्यवस्थाओं की आवधिक समीक्षा भी की जाती है और केन्द्रीय एवं राज्य सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त विभिन्न इनपुटों के आधार पर आवश्यक उन्नयन किया जाता है।

(v) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) में सुरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है और इसे आधुनिकतम बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं।

*****